न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 216/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/518

दायर दिनांक :— 23.12.2024 निर्णय दिनांक :— 14.08.2025

01. चन्द्रप्रकाश पुत्र मुलतानाराम जाति विश्नोई नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

02. दाखा पुत्री मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

03. भैराराम पुत्र मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

04. सोमारी पत्नी मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

01. अर्जुनराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

02. गणपतराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

03. मनोहरराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

04. सुगनीदेवी पत्नी लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

05. ग्राम पंचायत कानासर जरिये सरपंच कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

06. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी

07. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी, विरेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 509 रकबा 5.2852 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। वकील वादीगण की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 509 रकबा 5.2852 हैक्टेयर का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि खसरा नम्बर 509 वक्त सेटलमेंट के समय का जमाबंदी अनुसार रकबा 65.06 बीघा है जबकि इस खसरे का रेखीय क्षेत्रफल अनुसार रकबा 388.10 बीघा बनता है जो जमाबंदी के रकबे से 323.04 बीघा नक्शा की आकृति बड़ी है। जमाबंदी रकबा व नक्शा आकृति के रकबे में ज्यादा भिन्नता होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 509 रकबा 5.2852 हैक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 675 में दर्ज अभिलेख है परन्तु तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 509 वक्त सेटलमेंट के समय जमाबंदी अनुसार रकबा 65.06 बीघा है जबकि इस खसरे का रेखीय क्षेत्रफल अनुसार रकबा 388.10 बीघा बनता है जो जमाबंदी के रकबे से 323.04 बीघा नक्शा की आकृति बड़ी है। जमाबंदी रकबा व नक्शा आकृति के रकबे में ज्यादा भिन्नता होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 धारा 53 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

14/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. चन्द्रप्रकाश पुत्र मुलतानाराम जाति विश्नोई नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
02. दाखा पुत्री मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
03. भैराराम पुत्र मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
04. सोमारी पत्नी मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

01. अर्जुनराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
02. गणपतराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
03. मनोहरराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
04. सुगनीदेवी पत्नी लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
05. ग्राम पंचायत कानासर जरिये सरपंच कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
06. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
07. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 216 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.08.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।